प्रेस विज्ञप्ति

13.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने 12.02.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत असम और मिजोरम में वाहन ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित 09 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल) पीड़ित थी।

ईडी ने कई व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मिजोरम पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इन एफआईआर के आधार पर कई आरोप पत्र भी दायर किए गए हैं। उक्त एफआईआर और चार्जशीट से पता चला है कि कार डीलर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल) के कर्मचारी और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने फर्जी ग्राहक प्रोफाइल बनाकर, फर्जी दस्तावेज जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि का उपयोग करके और फर्जी व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाकर एमएमएफएसएल को धोखा देकर अवैध रूप से और धोखाधड़ी से धन की हेराफेरी की है, जिन्हें एमएमएफएसएल से फर्जी ऋण के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ईडी की जांच से पता चला है कि चार आरोपी कार डीलरों ने मुख्य आरोपी जाकिर हुसैन (पूर्व एमएमएफएसएल कर्मचारी) के साथ मिलीभगत करके अपराध को अंजाम दिया और 146 करोड़ रुपये (लगभग) की अपराध आय (पीओसी) हासिल की, जिसमें से 71 करोड़ रुपये (लगभग) एमएमएफएसएल द्वारा ऋण चुकौती के माध्यम से पहले ही वसूल किए जा चुके थे और शेष 75 करोड़ रुपये (लगभग) अभी भी मुख्य आरोपी और आरोपी कार डीलरों के पास हैं। तलाशी अभियान के दौरान, अचल और चल संपत्तियों और बैंक खातों के बारे में विवरण बरामद किए गए। तलाशी के दौरान बरामद बैंक खातों में पड़ी रकम पीओसी का हिस्सा है।

परिणामस्वरूप, प्रवर्तन निदेशालय, आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय के उप निदेशक द्वारा जारी 07.03.2025 के पीएओ के माध्यम से मुख्य आरोपी जाकिर हुसैन द्वारा पीओसी से खरीदे गए 9.9 करोड़ रुपये और दो वाहनों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया।

आगे की जांच जारी है।